अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2022 (GCMS 2022/64)(आईटीआई पोर्टल नं. 2120470575663715) (आई पी नं. 52एफ/553130) मोती चौधरी के/ऑ कमलेश रानी पुत्री रामकुमार निवासी चक 17 बीबी पदमपुर 335041 बनाम प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोती चौधरी स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया था कि उसने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 24.01.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है क्योंकि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार के अनुसार उनकी पत्रावली तलफ हो चुकी है जबकि रजिस्ट्री को मंजूरी का निर्णय जिलाधीश महोदय द्वारा लिया गया था, इसलिए उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें अपीलार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपका आदेश एफआर(11)(2016)स्टाम्प/90/12849—50 दिनांक 20.08.1990 उक्त आदेश के बारे में समस्त पत्रावली में नोटशीट फैसला उक्त का वरन इंतकाल संख्या 77 की फोटो कॉपी संलग्न ता[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, कार्यालय [illegible], श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक कार्या रिकार्ड/2[illegible]/14 दिनांक [illegible].04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मोती चोधरी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 25.01.2022 सूचना चाही थी कि जिलाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ12(11) (2096) राजस्व/90/12849—50 दिनांक 20.08.1996 की नकल चाही थी। अपीलार्थी द्वारा वांछित आदेश/ रिकॉर्ड मुताबिक अभिलेख तलफ किया जा चुका है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 05 दिनांक 16.02.2022 को दी जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इन्तकाल नं. 77 आदेश क्रमांक एफ आर (11)(2016)स्टांप/90/12849—50 दिनांक 20.08.1996 वर्णित किया है जबकि मुताबिक रिकॉर्ड इन्तकाल सं. 77 का सही आदेश क्रमांक एफ 12(11)(2096)राजस्व/90/12849—50 दिनांक 20.08.1990 है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा आदेश क्रमांक गलत अंकित किया गया है।

अतः जवाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज करने का श्रम करें।

संलग्न : 1. पत्र सं0 5 दिनांक 16.02.2022
2. सूची पत्रावली [illegible]
3. सूची रिकॉर्ड तलफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 16.02.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपका आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 25.01.2022 को प्राप्त हुआ। जिसमें आप द्वारा श्रीमान् जिलाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ12(11)(2096)राजस्व/90/12849–50 दिनांक 20.8.90 की नकल चाही गई है। इस कार्यालय में मुताबिक अभिलेख उक्त पत्रावली तलफ की जा चुकी है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

चूंकि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 16.02.2022 को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का [illegible] के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी [illegible] किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न रूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार ने अपील के जवाब के संलग्न रिकॉर्ड तलफी हेतु दिनांक 27.06. 2006 की आदेश प्राप्त किया है, जिसकी प्रति संलगन है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में दिनांक 16.02.2022 को उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested